क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1586/NGT/OA-222/22/2022 दिनांक 23/08/2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee submitted in compliance to Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 25-04-2022 in OA No-222/2022 Krishan Pal & Ors. Versus State of Uttar Pradesh.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject, the Joint Committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 25-04-2022 in OA No-222/2022 Krishan Pal & Ors. Versus State of Uttar Pradesh. Joint Committee's report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

Compliance Report

In

Original Application No. 222/2022

Krishan Pal

Versus

State of Uttar Pradesh

<u>Order Date – 25.04.2022</u>

Filed on Behalf of:
Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. **Background**

Hon'ble National Green Tribunal has registered the present application on basis of a complaint received by Email, whereby it has been alleged by Mr. Krishan Pal, resident of Village Sikoda, Garhmukteshwar, District Hapur that a 11 KV line of electricity passing through his fileds has damaged mango trees grown by him on his private land. It has been alleged that 3 trees had already dried and rest are in danger of being dried. Complainant has also stated that the concerned Ministry has issued directions that electricity line passing over mango trees is to be shifted.

The complainant had submitted an application in electricity department for shifting of said line. Subsequently, Junior Engineer had conducted the survey and asked him that expenses of Rs. 60,000/- would have to be borne by the complainant for such shifting and no action with regards to shifting of line has been done on site and he is suffering serious loss due to damage of his mango trees by the electricity line.

In pursuance of above complaint, Hon'ble Tribunal had passed following orders on 25.04.2022:-

"...On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter need due verification and remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee representatives of the State PCB and Uttar Pradesh Electricity Board/UPPCL and District Magistrate, Hapur to look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law..."

2. **Compliance Report:**

In compliance of Hon'ble Tribunal's orders, the Joint Committee comprising of Shri Vivek Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shri Tejpal Singh, Sub-Divisional Officer, Electricity Distribution Division-III, PVVNL, Hapur and Shri Kishan Singh, Assistant Environment Engineer, UPPCB conducted the

K Singh

joint survey of the site in Village Sikheda, District Hapur along with the complainant Shri Krishna Pal (S/o Shri Shyonaath Singh) on 15.07.2022.

The complainant informed the Committee that 11 KV line is passing through his fields and a pole is also erected on his field for said line at one point. He also informed that mango plantation dating back to 20-25 years comprising of around 17 mango trees was there in his fields out of which 3 trees have dried up after coming in contact with the 11 KV line. However, during site survey just one dried up trunk could be identified on site and cause of same could not be ascertained. Photograph taken on site at the time of inspection are as below.

Sub-Divisional Officer, Electricity Distribution Division informed that there is no 11 KV (HT Line) passes through the field of the complainant, instead a 440Volt LT line is passing through two trees and the said line does not have any impact on the trees. It was further informed that the said line is around 50 years old and is for purpose of supply to DRM Railway Gate No. 61 at Village Shakarpur and 2 private borewells (one each in Village Shakarpur and Village Sikheda). Letter has also been sent in this regard to the office of SDM, Garhmukteshwar, Hapur on 18.05.2022, copy of same is annexed as *Annexure I*.

Sub-Divisional Officer, Electricity Distribution Division has also informed that the complainant had given an application to shift the LT Line and site survey was done and estimate of Rs. 58,574/- was given to the complainant vide letter dated 11.10.2021 to undertake the work of line shifting, however, no payment was received from Shri Krishna Pal hence the work has not been done. Copy of the letter dated 11.10.2021 is annexed as *Annexure II.*

During survey, the complainant had informed the joint committee that he would give a fresh undertaking for purpose of getting a new revised estimate for getting the line shifted partially but it has been informed by the office of the Executive Engineer, Electricity Distribution Division, PVVNL, Garhmukteshwar vide letter dated 06.08.2022 that no undertaking has been received from the complainant hence the process is pending at complainant's end, copy of said letter is annexed as Annexure III. Assistant Engineer, UPPCB contacted the complainant on his mobile number +919717662661 On 21.08.2022 regarding submission of fresh undertaking to which he informed that he would not be giving any fresh undertaking in the said matter. Thus, though the electricity distribution division has agreed to shift the said line but same is pending as requisite charges have not been deposited as required.

Report is being put up for kind perusal and further necessary directions.

K Singh 22/08/2022	22.8.2022	22/08/22
(Kishan Singh)	(Tejpal Singh)	(Vivek Kumar)
Assistant Environmental Engineer	Sub-Divisional Officer	SDM, Garhmukteshwar
UPPCB, Ghaziabad	Electricity Distribution Division – III	Hapur
	PVVNL, Garhmukteshwar , Hapur	

Annexure - 1

Office Of the
SubDivision officer
Electricity Distribution SubDivision IIIrd
Simbhawali (Hapur)
CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड, तृतीय सिम्भावली
गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)
Email ID : edsd3garh@gmail.com

पत्रांक ...631....../वि0वि0उ0खं0तृतीय/सिम्भावली/ दिनांक 18-05-2022

विषयः– शिकायतकर्ता श्री कृष्णपाल पुत्र शयौनाथ सिंह निवासी ग्राम– सिखैड़ा की जाँच आख्या के सम्बन्ध मे।

श्री मान उपजिलाधिकारी
गढमुक्तेश्वर।

महोदय, उपरोक्त विषयाँकित के सम्बन्ध में आपको सादर अवगत कराना है कि आपके पत्रांक संख्या 1597–/एस0टी–एस0डी0एम0–गढ/2022 दिनांक 12.05.2022 के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री कृष्णपाल पुत्र शयौनाथ सिंह निवासी ग्राम– सिखैड़ा के द्वारा की गयी शिकायत के अनुसार साईट पर 11 के0वी0 (एच0टी0 लाईन) से पेड़ जलने/खराब होने की शिकायत पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा साईट का निरीक्षण किया गया, जिसमें उपभोक्ता के यहाँ साईट पर आम के बाग लगने से पूर्व सें बनी एल0टी0 लाईन (02) पेड़ो के समीप होकर गुजर रही है, जबकि साईट पर उपभोक्ता की शिकायत अनुसार आम के पेड़ के आस–पास कोई भी 11 के0वी0 (एच0टी0) लाईन नही है, उपरोक्तानुसार साईट पर केवल एल0टी0 लाईन 440 वोल्ट 4 तार मौजूद है, उक्त लाईन पर डी0आर0एम0 रेलवे फाटक गेट नं0 61, ग्राम– शकरपूर का संयोजन भी पूर्व से ऊर्जीकृत है, एंव 02 संयोजन निजी नलकूप 01. श्री धर्मवीर पुत्र श्री लहरी सिंह निवासी ग्राम–सिखैड़ा। 02. श्री अतर सिंह पुत्र श्री मोमराज निवासी ग्राम–शकरपुर आम के बाग लगने से पूर्व से लगभग 50 वर्षो से ही ऊर्जीकृत है, शिकायतकर्ता की साईट पर आम के बाग से गुजर रही एल0टी0 लाईन से किसी भी पेड़ की क्षति नही हो रही है। शिकायतकर्ता अपने बाग/खेत से विद्युत लाईन हटवाना चाहता है, जिसका पूर्व में भी शिकायतकर्ता के यहाँ अवर अभियन्ता द्वारा साइंट का निरीक्षण कर विद्युत लाईन सिफटिंग का प्राकलंन बनाकर शिकायतकर्ता को प्रेषित किया जा चुका है। जो शिकायतकर्ता द्वारा तद् दिनांक तक भी जमा नही किया है।

जाँच आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : (1) प्राकलन प्रति ।
(2) प्राकलन टी० सी० ।

(तेजपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
दिनांक 18-05-2022

पत्रांक ...631...../वि0वि0उ0खं0तृतीय/सिम्भावली/
प्रतिलिपि निम्न को मृदु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय वनाधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गढमुक्तेश्वर।

(तेजपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

19/5/2022

E-Mail- eddgarh@gmail.com
Office of the Executive Engineer,
Electricity Distribution Division,
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.,
Siyana Chopla, Near Ralway Crossing,
Garhmukteshwar (Hapur)–245205
CIN: U31200UP2003SGC027458

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
स्याना चौपला, निकट रेलवे क्रॉसिंग,
गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

पत्रांक : 5818 /वि0वि0ख0गढ0/ दिनांक : 11-10-21

विषय :– एल0टी0 लाईन को शिफ्ट करने हेतु धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

श्री कृष्णपाल पुत्र श्री श्यौनाथ सिंह
निवासी ग्राम सिखैडा
जिला हापुड़।

उपरोक्त विषयक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सिम्भावली से निर्गत 11 के0वी0 सिखैडा पोषक से पोषित ग्रामं सिखैड़ा में श्री कृष्णपाल पुत्र श्री श्यौनाथ सिंह निवासी ग्राम सिखैडा जिला हापुड़ के बाग के ऊपर से गुजर रही एल0टी0 लाईन-को दूसरे स्थान पर लाईन शिफ्ट कराने हेतु खण्ड कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया है। अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रांकलन बनाकर खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया।

अत: आपको प्रांकलन स्वीकृत कर स्वीकृत प्रांकलन की प्रति संलग्नक कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रहीं है कि उक्त धनराशि जी0एस0टी0 एवं लाईन चार्ज अलग–अलग खण्ड कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें। धनराशि जाम होने के उपरान्त प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जोयेगीं।

जी0एस0टी0 धनराशि	–	8936.00
लाईन चार्ज	–	49643.00
कुल योग	–	58574.00

(कृष्ण पाल)
अधिशासी अभियन्ता

D:\comp\TC LETTER.doc

Annexure-J

E-Mail- eddgarh@gmail.com
Office of the Executive Engineer,
Electricity Distribution Division,
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.,
Siyana Chopla, Near Railway Crossing,
Garhmukteshwar (Hapur)–245205
CIN: U31200UP2003SGC027458

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0,
स्याना चौपला, निकट रेलवे क्रॉसिंग,
गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

पत्रांक : 4452/वि0वि0ख0गढ़0/ दिनांक : 06-08-22

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–222/2022 Krishan Pal Versus State of Utter Pardesh में पारित आदेश दिनांक 25.04.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1186/222/2022 दिनांक 22.07.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खण्ड कार्यालय को सूचित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–222/2022 Krishan Pal Versus State of Utter Pardesh में पारित आदेश दिनाक 25.04.2022 के अनुपालन में विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु खण्ड कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया था।

जिसके सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड–तृतीय, सिम्भावली ने साईट की जांच कर जाच रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक 1468/वि0वि0उ0खं0 तृतीय/सिम्भावली दिनांक 29.07.2022 के द्वारा खण्ड कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 15.07.2022 को संयुक्त रूप से श्री मान अरविन्द कुमार द्विवेदी, उपजिलाधिकारी महोदय गढमुक्तेश्वर, श्री मान विवेक यादव उपजिलाधिकारी महोदय क्लैक्ट्रेट हापुड़, श्री किशन सिंह सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद व शिकायतकर्ता श्री कृष्णपाल की मौजूदगी में संयुक्त रूप से आम के बाग की साईट ग्राम– सिखैड़ा का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो शिकायतकर्ता द्वारा दो खम्बे लगाकर एल0टी0 लाईन 440 Volt 4 एल्यूमिनियम तार को आम के बाग से शिफ्ट करने हेतु मौखिक रूप से सहमति प्रदान की गयी तथा शपथ–पत्र देकर रिवाईज़ड प्राकलंन बनाने हेतु मौखिक सहमति प्रदान की गयी। रिवाईज़ड प्राकलंन के लिए शपथ–पत्र तद् दिनांक तक अप्राप्त है। जिस कारण रिवाईज़ड प्राकलंन तैयार नही किया जा सका है, क्योंकि पूर्व में विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग करने हेतु प्राकलंन की धनराशि रू 58754.00 जमा करने हेतु टी0सी0 इस कार्यालय के पत्रांक 5818 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा प्रेषित की गयी थी, जो तद् दिनांक तक जमा नही किया गया है। संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान साईट पर आम के बाग लगने से पूर्व से बनी एल0टी0 लाईन दो पेडो के समीप से हाकर गुजर रही है जबकि साईट पर शिकायतकर्ता की शिकायतानुसार आम के पेडो के आस–पास 11 के0वी0 लाईन मौजूद होना कहा गया था। साईट पर केवल LT Line 440 Volt 4 तार मौजूद है। उक्त लाईन पर D.R.M रेलवे फाटक Gate No. 61 ग्राम–शकरपुर का संयोजन भी पूर्व से ऊर्जीकृत है एंव दो संयोजन निजी नलकूप श्री धर्मवीर पुत्र श्री लहरी सिंह, निवासी ग्राम– सिखैड़ा व श्री अतर सिह पुत्र श्री मोमराज निवासी ग्राम–शकरपुर आम के बाग लगने से पूर्व से लगभग 50 वर्षो से ऊर्जीकृत है। शिकायतकर्ता की साईट पर आम के पेडो को किसी प्रकार की क्षति नही हो रही है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में प्रेषित प्राकलंन की धनराशि भी जमा नहीं की गयी है और ना ही पुनः रिवाईज़ड प्राकलंन बनाने हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। जैसाकि संयुक्त जाँच के समय मौखिक सहमति शिकायतकर्ता श्री कृष्णपाल के द्वारा प्रदान की गयी थी। फलस्वरूप लाईन शिफ्टींग का कार्य शिकायतकर्ता के स्तर पर तद् दिनांक तक पैन्डिंग है। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से शिकायत का निस्तारण कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : 4452 /वि0वि0खं0गढ़0/तद् दिनांक : 06-08-22

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, प0वि0वि0नि0लि0, हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

D:\comp\08-2022.doc